भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3262

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024 / 25 अग्रहायण, 1946 (शक)

घरेलू कामगारों का मूल्यांकन

3262. श्री सुब्बारायण के.:
श्री सेल्वाराज बी.:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास घरेलू कामगारों के आधिकारिक मूल्यांकन का ब्यौरा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार और लिंगवार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने कपड़ा, चमड़ा, हस्तशिल्प आदि के घरेलू कामगारों का आंकड़ा एकत्र किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का घरेलू कामगारों पर कानून बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008, जिसे अब सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में शामिल कर लिया गया है, में घरेलू कामगारों सहित असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उपबंध किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में केंद्र और राज्य सरकारों को असंगठित कामगारों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएँ बनाने का अधिदेश दिया गया है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने घरेलू कामगारों सहित असंगठित कामगारों के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल आरंभ किया है। यह असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर पंजीकरण करने की भी अनुमति देता है। ई-श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक कामगारों सहित असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है, जिसे आधार से जोड़ा जाएगा तथा ऐसे कामगारों को मौजूदा सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के तहत पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना है। दिनांक 11.12.2024 तक की स्थिति के अनुसार इस पोर्टल पर 30.45 करोड़ कामगार पंजीकृत हैं, जिनमें 2.89 करोड़ घरेलू और पारिवारिक कामगार शामिल हैं।

*****